भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

सं. ईसीआई/प्रे.नो./33/2018 दिनांक : 30 अप्रैल, 2018

प्रेस नोट

विषय : वर्तमान निर्वाचनों में धन के दुरूपयोग के विरूद्ध कर्नाटक में राज्य निर्वाचन मशीनरी एवं आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई।

कर्नाटक में, राज्य निर्वाचन मशीनरी और आयकर विभाग ने निर्वाचन में धन के दुरूपयोग के विरूद्ध अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और प्रथम बार, जनशक्ति के मामले में सांविधिक शक्तियों एवं पर्याप्त संसाधनों वाले दलों, वाहनों आदि की तैनाती राज्य के प्रत्येक जिले में कर दी गई है।

आयकर विभाग की अन्वेषण विंग द्वारा कर्नाटक विधान सभा निर्वाचन से संबंधित निगरानी आरंभ किए जाने के बाद से आज (30.04.2018) तक की गई **कुल जब्ती रू. 19.69 करोड़ है और रू. 4.81 करोड़ मूल्य के बेहिसाबी आभूषण हैं।** वर्ष 2013 में कर्नाटक विधान सभा निर्वाचनों में सम्पूर्ण प्रचार अभियान अवधि में **कुल जब्ती रू. 4.97 करोड़ की नकदी एवं रू. 3.41 करोड़ मूल्य के आभूषणों की थी।** यह पाया गया है कि वर्तमान विधान सभा निर्वाचनों में कार्यशीलता के दौरान जब्त की गई राशि का बड़ा हिस्सा वितरण के लिए है।

आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा राज्य में गहन निगरानी और अनुवीक्षण क्रियाकलाप कर रही है। आयकर विभाग द्वारा की गई कुछ मुख्य गतिविधियों के विवरण निम्नानुसार हैं:

(क) <u>मैसूर में 24 अप्रैल, 2018 को ली गई तलाशी-</u>

1. आसूचना के आधार पर, 24 एवं 26 अप्रैल, 2018 को विभिन्न सरकारी ठेकेदारों पर तलाशी और जब्ती कार्यवाही की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, मैसूर क्षेत्र में, ऐसे चार ठेकेदारों से रू. 6.76 करोड़ की बेहिसाबी नकदी की जब्ती की गई। जब्त की गई समस्त राशि उच्च मूल्य वर्ग के नोटों अर्थात् रू.2000/- और रू. 500/ में थी और अधिकांश जब्ती बेनामी नामों के लॉकरों से की गई थी। पाई गई और जब्त की गई नकदी को ठेकेदारों द्वारा रखे जाने वाले लेखा बही में नहीं दर्शाया गया था और वे नकदी के स्रोत के बारे में भी नहीं बता सके थे।
2. इन व्यक्तियों द्वारा ऐसे समय पर जब निर्वाचन प्रक्रिया प्रगति पर हो और जब राज्य में कुछ क्षेत्रों में नकदी की कमी रिपोर्ट की जा रही हो, ऐसे में भारी मात्रा में नकदी इकट्ठा करना परेशान कर देने वाले प्रश्नों को उत्पन्न करता है।

(ख) <u>26 अप्रैल, 2018 से 28 अप्रैल, 2018 तक बैंगलोर, दावनगेरे और मैसूर सम्बन्धी मामले:</u>

1. इस विशिष्ट आसूचना पर आधारित कि सरकारी ठेकेदारों द्वारा निर्वाचन प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने हेतु भारी मात्रा में नकदी इकट्ठी की गई है, बैंगलोर, दावनगेरे और मैसूर में 26/04/2018 को 3 ठेकेदारों की तलाशी सम्बन्धी कार्रवाई की गई और यह कार्रवाई 28.04.2018 को समाप्त हुई।

2. रू. 4.08 करोड़ की बेहिसाब नकदी और रू. 2.79 करोड़ मूल्य के अस्पष्टीकृत स्वर्ण आभूषण जब्त किए गए। एक ठेकेदार से रू. 1.2 करोड़ की नकदी एक चलती कार से मिली।

3. तलाशी के दौरान, बिक्री में स्फीति, जाली उप ठेकेदार एवं श्रमिकों के भुगतान तथा बेहिसाबी नकदी भुगतान से संबंधित साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। तलाशी दल ने रू. 74.39 करोड़ की अतिरिक्त आय की बात स्वीकार की।

(ग) बैंगलौर में 28.04.2018 और 29.04.2018 को ली गई तलाशी।

1. इस आसूचना जानकारी के आधार पर कि एक व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के अभ्यर्थियों को निधियन प्रदान कर रहा था, 2 व्यापारिक परिसरों और 1 निवास स्थान में तलाशी ली गई, जो 32 घंटे तक जारी रही और इसके परिणामस्वरूप रू. 3.18 करोड़ की नकदी, जब्त की गई तथा यह कार्यवाही 29 अप्रैल को भोर में समाप्त हुई।

2. मुख्य व्यक्तियों के निवास स्थान के समीप खड़ी एक कार में रू. 2.00 करोड़ की नकदी पाई गई, जिसे विभाग द्वारा व्यक्ति के परिसरों और सामानों की गहन तलाशी लिए जाने के बाद प्राप्त किया गया था।

(घ) खानापुर, हुबली और बैंगलोर में 28 एवं 29 अप्रैल, 2018 को ली गई तलाशी:-

1. दलीय टिकट पर निर्वाचन लड़ रहे एक अभ्यर्थी की, उनके द्वारा दायर शपथ-पत्र के सत्यापन, नकद लेन-देन के बारे में विनिर्दिष्ट आसूचना एवं अन्य विवरणों के आधार पर तलाशी ली गई।

2. यह पाया गया कि निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्धारण वर्ष 2012-13 से कर विवरणी दाखिल नहीं करने वाला व्यक्ति है। तथापि, अपने निर्वाचन शपथ-पत्र में उन्होंने कुछ आय दर्शाई है और यह टिप्पणी की है कि आयकर विभाग द्वारा ऑनलाइन आय विवरणी भरे जाने को ब्लॉक कर दिया गया है इसलिए वे विवरणी नहीं भर सके और उन्होंने स्व मूल्यांकन कर का भुगतान कर दिया है। आयकर विवरणी भरे जाने को ब्लॉक करने जैसी कोई चीज नहीं है। इसके अतिरिक्त, उनकी पत्नी द्वारा शपथ-पत्र में घोषित उनकी आयकर विवरणी और तलाशी के दौरान पाई गई वास्तविक आय के बीच पर्याप्त विसंगतियां हैं।

3. उन्होंने स्वीकार किया कि उनके परिवार के सदस्यों की संपत्तियों में से पाँच संपत्तियों (जिनमें से 3 जीपीए हैं और 2 खरीदी गई संपत्ति हैं) को निर्वाचन शपथ-पत्र में नहीं दर्शाया गया है।

4. तलाशी के दौरान यह पाया गया कि उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने रियल एस्टेट बिजनेस और जेडीए से होने वाली अपनी आय की घोषणा नहीं की है। जिस आय का पता चला और उनकी एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा विभिन्न निर्धारण वर्षों के लिए उनकी स्वयं की, उनकी पत्नी की तथा दो पुत्रों की घोषित आय लगभग रू. 18.00 करोड़ है। उनके अधिकतर व्यापारिक क्रियाकलाप परिवार के सदस्यों के नाम पर ही किए गए हैं।

5. ऐसी संपत्तियों के मूल्य निर्धारण जिन्हें वह रू. 191.00 करोड़ मूल्य के होने का दावा करते हैं, के मामले जांच के अधीन हैं।

(पवन दीवान)
अवर सचिव